तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/3928/2006/जयपुर रामप्रताप व अन्य बनाम रूपनारायण व अन्य	नम्बर व तारीख
12.01.2021	**एकलपीठ** **श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य** उपस्थित श्री श्याम बाबू पारीक अभिभाषक प्रार्थी श्री दीनदयाल पारीक अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय** यह निगरानी सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 17–4–2006 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि खातेदार साधूराम के फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 80 उसके वारिसान रूपनारायण,प्रकाश चन्द,कैलाश चन्द जगदीश पिसरान साधूराम के नाम तस्दीक किया गया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 5 व6 ने उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 21–1–2003 से अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 80 को निरस्त करते हुये मृतक सादिक उर्फ साधूराम के उत्तराधिकारियों की जांच कर सभी चार पुत्र एवं दो पुत्रियों के नाम मृतक की सम्पति का बराबर हिस्सा दर्शाते हुये पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने सम्भागीय आयुक्त जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 17–4–2006 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/3928/2006/जयपुर रामप्रताप व अन्य बनाम रूपनारायण व अन्य	नम्बर व तारीख
	गई। 4– प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि नामान्तरकरण संख्या 80 जिसे तहसीलदार ने स्वीकार किया था उसके विरूद्ध धारा 75 के अन्तर्गत अपील जिला कलेक्टर के न्यायालय में पोषनीय थी जिसके लिये मियाद सीमा 30 दिवस है। उपखण्ड अधिकारी को तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार नहीं था। अप्रार्थी रूपनारायण व जगदीश ने अपना हिस्सा वर्ष 1999 में ही विक्रय कर दिया था व प्रार्थी के नाम नामान्तरकरण संख्या 82 दिनाक 4–10–2000 को हो चुका था।ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 80 नामान्तरकरण संख्या 82 में दर्ज हो गया व अप्रार्थी संख्या 5 व6 को बिना नामान्तरकरण संख्या 82 को चुनौती दिये व प्रार्थीगण के हक में हुये विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती दिये बिना कोई अधिकार नामान्तरकरण संख्या 80 कीअपील के नहीं थे।प्रार्थीगण भूमि के पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रेता हैं एवं उनके हक में बाद जांच नामान्तरकरण संख्या 82 हो चुका था ऐसी स्थिति में वे अपील में आवश्यक पक्षकार थे जिन्हें पक्षकार बनाये बिना अपील चलने योग्य नहीं थी। इसलिये उपखण्ड अधिकारी विराटनगर एवं सम्भागीय आयक्त द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त योग्य है।अपने कथन के समर्थन में निगरानी संख्या 4199/2017/सीकर निर्णय दिनांक1–11–2018 के निर्णय की प्रति पेश की। 5– इसके जवाब में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि सादिया पुत्र जीवण के चार पुत्र रूपनारायण प्रकाश चन्द,कैलाश चन्द व जगदीश हैं एवं दो पुत्री लक्षमी देवी व प्रेम हैं। तहसीलदार ने चारों पुत्रों के नाम ही नामान्तरकरण तस्दीक किया है। पुत्रियों ने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/3928/2006/जयपुर रामप्रताप व अन्य बनाम रूपनारायण व अन्य	नम्बर व तारीख

उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जिस पर सभी को बराबर हिस्से का वारिस मानकर नामान्तरकरण स्वीकृत करने के आदेश पारित किये हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार मृतक की पुत्रियां भी प्रथम श्रेणी की वारिस हैं। रूपनारायण व जगदीश को अपने हिस्से तक ही भूमि विक्रय करने का अधिकार था। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधिसम्मत हैं निगरानी खारिज योग्य है।

6– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खातेदार साधूराम के फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 80 उसके वारिसान रूपनारायण,प्रकाश चन्द,कैलाश चन्द जगदीश पिसरान साधूराम के नाम तस्दीक किया गया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 5 व6 ने उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 21–1–2003 से अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 80 को निरस्त करते हुये मृतक सादिक उर्फ साधूराम के उत्तराधिकारियों की जांच कर सभी चार पुत्र एवं दो पुत्रियों के नाम मृतक की सम्पति का बराबर हिस्सा दर्शाते हुये पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश पारित किये हैं। इस प्रकरण में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार न कर मुख्य रूप से कानूनी बिन्दु यह निर्णायक है कि तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था? नामान्तरकरण संख्या 80 जिसे तहसीलदार ने स्वीकार किया था उसके विरूद्ध धारा 75 के अन्तर्गत अपील जिला कलेक्टर के न्यायालय में पोषनीय थी जिसके लिये मियाद सीमा 30 दिवस है। उपखण्ड अधिकारी को तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/3928/2006/जयपुर रामप्रताप व अन्य बनाम रूपनारायण व अन्य	नम्बर व तारीख
	अपील सुनने का अधिकार नहीं था। इसलिये उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण पर पारित आक्षेपित आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। 8– परिणामस्वरूप क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी विराटनगर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक21–1–2003 एवं सम्भागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–4–2006निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध पक्षकारान सक्षम न्यायालय जिला कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सतीश चन्द्र गोदारा) सदस्य	